कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा

पत्रांक /दैवी आपदा–शीतलहरी दिनांक: 08 दिसम्बर 2017

ई निविदा सूचना

शा0आ0सं0 1651/1–10–2017–12 (34)/03 टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक 16–11–2017 के कम में जनपद बाँदा में शीतलहरी/ठण्ड से बचाव हेतु गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निः शुल्क कम्बल वितरण हेतु मु0 25,00,000/– (मु0 पच्चीस लाख रूपये) के कम्बल कय किये जाने हेतु सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपकमों/निगम/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं (जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा नि0लि0 यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामाद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गाँधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्त शिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्व वर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम में लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों से उत्पादित वस्त्रों की कय अनिवार्यता के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या–8/2016/548/18–2–2016–12 (एस पी)/2010 दिनांक 12 अगस्त 2016 में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल का कय सुनिश्चित किया जाना है जिसके लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है और ई निविदा के लिए विस्तृत विवरण बेबसाईट **http/etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

ई निविदा दिनांक **09.12.2017** से दिनांक **15.12.2017** तक डाली जा सकती है। आमंत्रित ई निविदा दिनांक **16.12.2017** को जिलाधिकारी कार्यालय में एन0आई0सी0/ई–गवर्नेन्स सेल कलेक्ट्रेट बाँदा में अपरान्ह 2:00 बजे गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

शासनादेश के अनुरूप कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई तथा वजन आदि निम्नवत होगी–

1–	कम्बल की मानक लम्बाई कम से कम	235 सें0मी0
2–	कम्बल की मानक चौड़ाई कम से कम	140 सें0मी0
3–	कम्बल का मानक वजन कम से कम	2 किलो 200 ग्राम
4–	कम्बल का मूल्य	500–00 रू0 से अधिक न हो
5–	कम्बल में ऊन की मात्रा	कम्बल में 70 प्रतिशत ऊन होना अनिवार्य है तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिये

ई निविदा की शर्ते

1–	निविदादाता संस्था का प्रमाण पत्र/पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख निविदा के समय लाना अनिवार्य होगा और आनलाईन पोर्टल पर डालना होगा ।
2–	निविदादाता संस्था को निविदा खोलते समय कम्बल का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3–	निविदादाता संस्था को कम्बल इस आशय का टैग लगाना होगा जिसमें सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा तथा यह भी अंकित होगा कि " **कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निः शुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिकी योग्य नहीं है"।**
4–	निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदादाता संस्था के पक्ष में कार्यादेश निर्गत होने के पाँच दिन के अन्दर निविदादाता संस्था को वांछित कम्बलों की आपूर्ति करनी होगी। यदि निधारित अवधि के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति नहीं जाती तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5–	निविदा फार्म के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कराना होगा कि निविदा में अंकित सभी शर्तें निविदादाता को स्वीकार है।
6–	इस सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी बाँदा द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
7–	कम्बल में ऊन एवं यार्न के मिश्रण की जाँच करायी जायेगी जिसमें कमी होने पर निविदादाता संस्था उत्तरदायी होगी और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8–	निविदादाताओं को धरोहर धनराशि के रूप में 50,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी बाँदा के पक्ष में बनवाकर उसकी सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बाँदा।

पृ0प0सं0 723 /दैवी आपदा, तद्‌दिनाक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बाँदा को इस निर्देश के साथ कि ई–निविदा को वेबसाइट पर पब्लिश कराना सुनिश्चित करें।
2. डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 बाँदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ई निविदा सूचना का प्रकाशन अगले अंक में कराकर समाचार की एक प्रति सहित भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बाँदा।